

न्यू जर्सी शीघ्र मध्यवर्तन प्रणाली
न्यू जर्सी अर्ली इन्टरवेंशन सिस्टम
न्यू जर्सी स्वास्थ्य और वरिष्ठ सेवा विभाग

विषय	प्रक्रिया
शीघ्र मध्यवर्तन	न्यू जर्सी शीघ्र मध्यवर्तन प्रणाली (न्यू जर्सी अर्ली इन्टरवेंशन सिस्टम) -एन.जे.ई.आइ.एस का लक्ष्य शीघ्रता से गुणवत्ताशील समर्थन प्रदान करना तथा सेवाओं द्वारा बच्चों के विकास और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में उन परिवारों की क्षमता बढ़ाना है जिनमें 0-3 वर्ष के बच्चों में विकासात्मक देरी या अक्षमता हो।
रेफरल	शीघ्र मध्यवर्तन में प्रविष्टि का राज्य में एक केंद्रित स्रोत है। बच्चे के पहचाने जाने के 2 दिन में ही प्राथमिक स्रोतों द्वारा रेफरल दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्रोतों के कुछ उदाहरण हैं - अस्पताल, चिकित्सक गण, माता पिता, बच्चे की देखभाल करने वाली संस्थाएं, स्थानीय शैक्षिक संस्थाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, अन्य सामाजिक सेवा संस्थाएं एवं अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाता।
सेवा समन्वय	एन.जे.ई.आइ.एस के अंतर्गत सेवा समन्वय परिवारों को एवं पात्र बच्चों को अपने अधिकार, प्रक्रियात्मक सुरक्षा, तथा सेवाएं प्राप्त करने में सहायता करता है और उन्हें सक्षम बनाता है। सेवा समन्वयक ही परिवारों को अपने लिये या अपने बच्चे के लिए सामुदायिक सेवा एवं सहायता उपलब्ध कराने के मुख्य स्रोत हैं।
मूल्यांकन और आकलन	शीघ्र मध्यवर्ती मूल्यांकन से बच्चे के विकास के विषय में जानकारी एकत्रित होगी। इससे शीघ्र मध्य वर्तन की पात्रता निर्धारित की जाएगी। मूल्यांकन से परिवारों एवं बच्चों को दी जाने वाली सेवाओं के प्रकार तथा स्तरों को परिभाषित किये जाने में सहायता मिलेगी।
पात्रता	जन्म से 3 वर्ष की आयु तक किसी एक विकास क्षेत्र में कम से कम मध्य से 2 मानक विचलन (स्टैंडर्ड डिविएशन-Standard Deviation) की देरी अथवा 2 या अधिक विकास क्षेत्रों में मध्य से 1.5 मानक विचलन की देरी; निदान अवस्था में विकासात्मक देरी की उच्च संभावनाएं; या प्रकल्पित पात्रता का निदान होना। विकासात्मक क्षेत्रों का अर्थ है- भौतिक (स्थूल अथवा सूक्ष्म स्वेच्छिक कौशल, मस्तिष्क-संबंधी), संज्ञानात्मक, संचारात्मक, सामाजिक / भावनात्मक, या/और अनुकूलात्मक।
व्यक्तिगत परिवार सेवा योजना आइ.एफ.एस.पी (IFSP)	मूल्यांकन एवं आकलन के बाद बच्चों एवं परिवारों की आवश्यकतानुसार सेवाओं का विवरण तथा कार्यान्वयन के हेतु व्यक्तिगत परिवार सेवा योजना - आइ.एफ.एस.पी (IFSP) विकसित की जाती है। आइ.एफ.एस.पी एक योजना होने के साथ ही एक प्रक्रिया भी है। योजना एक लिखित आलेख है तथा प्रक्रिया परिवारों एवं शीघ्र मध्यवर्तन के बीच जानकारी बांटने का एक सांझा है जिसके द्वारा बच्चे के विकासात्मक आवश्यकताओं तथा परिवारों के लिये आवश्यक संसाधनों को पूरा किया जा सकता है।
आइ.एफ.एस.पी बैठक	परिवार, सेवा समन्वयक तथा मूल्यांकन दल के कम से कम एक सदस्य के साथ हुई बैठक में आइ.एफ.एस.पी विकसित की जाती है। यह परिवारों से मिली जानकारी तथा मूल्यांकन/आकलन पर आधारित होती है। बैठक का समय एवं स्थान परिवार की सुविधा देखकर निश्चित किया जाता है।

न्यू जर्सी शीघ्र मध्यवर्तन प्रणाली
न्यू जर्सी अर्ली इन्टरवेंशन सिस्टम
न्यू जर्सी स्वास्थ्य और वरिष्ठ सेवा विभाग

	घर में प्रयोग की जाने वाली भाषा तथा संचार की विधि ही बैठक में भी प्रयोग की जाती है।
शीघ्र मध्यवर्तन सेवाएं -ई.आइ	शीघ्र मध्यवर्तन सेवाओं को समस्याओं का समाधान तथा विकासात्मक देरी को समय रहते पहचानने के लिए ही बनाया गया है। ये सेवाएं प्राकृतिक वातावरण में योग्य कर्मियों द्वारा प्रदान की जाती हैं। ऐसे वातावरण जिनमें विशेष ज़रूरतें न रखने वाले बच्चे भी साधारणतया भाग लेते हों और परिवारों के लिए आरामदायक एवं सुविधाजनक हों।
आइ.एफ.एस.पी समीक्षा	प्रत्येक ६ महीनों पर या फिर उपयुक्त होने पर उससे भी पहले आइ.एफ.एस.पी की समीक्षा की जाती है जिससे बच्चे तथा परिवारों की ज़रूरतों को सुनिश्चित किया जाता है। आइ.एफ.एस.पी की बैठकों में आइ.एफ.एस.पी दल जिसमें परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं, वर्तमान परिणामों तथा शीघ्र मध्यवर्तन की सेवाओं के नवीनीकरण की समीक्षा करते हैं। एक वर्ष में कम से कम एक बार आइ.एफ.एस.पी लिखी जाती है।
अवस्थांतर	सभी प्रकार के अवस्थांतरण का उद्देश्य बच्चों एवं परिवारों को सबसे उपयोगी तरीके से एक चरण से दूसरे चरण तक पहुँचाना है। शीघ्र मध्यवर्तन सेवाएं पाए जाने के किसी भी समय अवस्थांतरण किया जा सकता है। जब बच्चा २ वर्ष का हो, तो अवस्थांतरण की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें माता-पिता, सेवा समन्वयक और अन्य सभी जन जिन्होंने बच्चे के साथ नियोजन सेवाएं बनाने में सहायता की हो तथा बच्चे के ३ वर्ष का होने के साथ ही शीघ्र मध्यवर्तन छोड़ने में समर्थन दिया हो। इस प्रक्रिया में कई कदम होंगे जो अवस्थांतरण से शीघ्र मध्यवर्तन और फिर अन्य शीघ्र बाल वातावरण तथा समर्थन सेवाएं जिनकी परिवार एवं बच्चों को ३ वर्ष की आयु पर आवश्यकता हो सकती है।
सेवा की लागत	संघीय (फ़ेडरल) कानून के अंतर्गत पात्रता रखने वाले बच्चों एवं परिवारों को सार्वजनिक खर्च पर विशिष्ट सेवाएं प्रदान कराना अनिवार्य है। सम्मिलित सेवाओं जैसे- बच्चे को खोजना और रेफरल, मूल्यांकन और आकलन, सेवा समन्वय, आइ.एफ.एस.पी (IFSP) विकास और समीक्षा, प्रक्रियात्मक सुरक्षा (परिवारों के अधिकार). इनके अतिरिक्त उपलब्ध संसाधनों एवं परिवार की आर्थिक क्षमता के आधार पर परिवार को आंशिक या पूर्ण लागत लगानी पड़ सकती है। लागत में परिवार की हिस्सेदारी, क्रमिक शुल्क स्तर पर आधारित है। यह क्रमिक शुल्क परिवार की आय एवं सदस्यों की गणना पर आधारित है।

यह तथ्य पत्र राज्यव्यापी माता-पिता हिमायती संघ (पेरेंट एडवोकेसी नेटवर्क) तथा समावेशी बाल देखभाल चित्रण दल (मॅप टू इंकलुसिव चाइल्ड कैर) द्वारा विकसित है।

अधिक जानकारी के लिए देखें www.state.nj.us/health/fhs/eiphome.htm या १-८००-३२२-८१७४ (1-800-322-8174) पर कॉल करें। आप पेरेंट एडवोकेसी नेटवर्क से भी सहायता पा सकते हैं 800-654-SPAN (7726) या www.spannj.org.